संख्या 2–5/2006/Gen-EPABX
वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
डाकघरः न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006

दिनांक 24.05.2017

# परिपत्र

संस्थान के प्रशासनिक उच्च अधिकारियों एवं कुछ प्रभाग प्रमुखों को उनके कार्यालय के EPABX दूरभाषों लाईनो पर प्लान (1+1) दूरभाष अर्थात ***Secretrial Executive Telephones*** की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन दूरभाषों को चलाने हेतु wiring व बिजली की आपुर्ति अतिरिक्त रुप से एडेप्टर के माध्यम से दी जाती है जो कि सामान्य दूरभाषों के संयोजनों में नहीं होती है। इस अतिरिक्त सुविधा के उपयोग हेतु प्लान दूरभाष उपकरणों के साथ अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है जैसे कि प्रतिदिन सायंकाल कार्यालय बन्द होने के समय अथवा जब कभी भी दिन के समय मौसम खराब होने पर बिजली (Lightning) चमकती है तो प्लान दूरभाष के साथ लगे एडेप्टर के प्लग को बिजली के सॉकेट से निकाला जाना अनिवार्य होता है ताकि दूरभाष उपकरणों एंव एडेप्टर को प्राकृतिक बिजली के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी परिपत्र भी जारी किये गये थे।

ऐसा भी देखने में आया है कि एक–दो कार्यालय को छोड़कर कोई भी कार्यालय प्लान दूरभाष उपकरणों के एडेप्टर को बिजली के सॉकिट से नहीं हटाते हैं परिणामस्वरुप लाईटनिंग के समय एडेप्टर एवं प्लान दूरभाष उपकरण जलने के साथ– साथ इसके हाईवोल्टेज जर्क से एक्सचेंज के लाईन एवं कंट्रोल कार्ड तक जल जाते हैं। अभी महीने भर के अन्तराल में दो बार मौसम खराब हुआ था और लाईटनिंग भी हुई, दोनों बार अधिकतम प्लान दूरभाष जल गये थे। जिसे उसी दिन से लगातार ठीक करने का काम चल रहा था परन्तु अभी भी बहुत सारे जले हुऐ प्लान उपकरण ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से कुछ सैट बाजार में ठीक कराये गये परन्तु बाजार में ठीक कराने के लिए काफी समय लगाते हैं और कुछ प्लान उपकरण बाजार में भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बाजार में प्लान उपकरण एवं एडेप्टर ठीक कराने का खर्चा अधिक है जिस कारण मरम्मत हेतु काफी धन व्यय होता है।

अतः सम्बन्धित कार्यालयों से इस परिपत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्रतिदिन सायंकाल कार्यालय बन्द होने के समय व मौसम खराब होने/बिजली चमकने/कड़कने पर अपने प्लान दूरभाष के एडेप्टर बिजली के सॉकिट से अनिवार्य रुप से हटा दें अन्यथा प्लान (1+1) दूरभाषों की मरम्मत इत्यादि कार्य स्वयं उनके कार्यालय के स्तर से किया जाएगा।

यह परिपत्र निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(संदीप कुजूर, भा.व.से.)
कुलसचिव
वन अनुसंधान संस्थान।

कार्यालय/Office
वन सूचना विज्ञान प्रभाग
Forest Informatics Division
दै०सं० 147 Diary No.
दिनांक 29/5/17 Dated

Put up on website